NT>

15.33 hrs.

Title: Further discussion on the resolution regarding ban on cow slaughter moved by Shri Prahalad Singh Patel on 26 July, 2002 (Not concluded).

MR. CHAIRMAN : The House will now take up Item No.15.

माननीय मंत्री जी का भााण अपूर्ण था, इसलिए माननीय मंत्री जी अपना भााण पूरा करें।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : इस प्रस्ताव पर पिछली बार चर्चा हुई थी तो सरकार की तरफ से जो कहना चाहिए, मैंने सदन के सामने निवेदन कर दिया था।

अन्त मैं मैं माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहूंगा कि अभी हम लोगों ने यह तय किया है कि सभी राज्य सरकारों के जो पशुपालन विभाग के मंत्री हैं, उनकी शीघ्र ही एक बैठक हम बुलाने वाले हैं और राज्य सरकारों के सभी पशुपालन विभाग के मंत्रियों के साथ बैठकर पशुपालन के विकास पर जहां चर्चा करेंगे, वहीं इस सम्बन्ध में भी उनसे चर्चा करेंगे कि इस पर जो कानून राज्यों में बने हुए हैं, उन पर कैसे अमल किया जाये और कैसे उसे पूर्णरूपेण कारगर रूप दिया जाये, जिससे गौवंश की रक्षा हो सके, पशुधन की रक्षा हो सके। भारत सरकार की यह नीति है कि पशु की सुरक्षा, उसके विकास, उसके संरक्षण, उसके संवर्धन, उनका आगे जो कुछ भी हो, उसके लिए भारत सरकार पूर्णरूपेण संकल्पित है और चाहती है कि हम स्वयं आगे बढ़ें।

हमारे सामने जो पशु आयोग की रिपोर्ट आई है, प्रतिवेदन आया है, उस पर हम एक टास्क फोर्स गठित करके, विशेा अध्ययन दल बनाकर चर्चा करेंगे कि पशु आयोग के जो सुझाव हैं, उनको कैसे हम अमल में लायें। उस पर कानून बनाना पड़े, संसद में आना पड़े या राज्य सरकार के साथ सहमति बनानी पड़े, वह हम करेंगे।

माननीय सदस्य से मैं आग्रह करूंगा कि यह राज्यों का विाय है। राज्य सरकारों के पशु पालन मंत्रियों से हम चर्चा करने के बाद जो केन्द्र सरकार की राय है, उसके साथ मिलजुलकर इस पर आवश्यक रूप से जो करना होगा, वह करेंगे। माननीय सदस्य की भावना को और अन्य सदस्यों की जो राय आई है, उसको भी मैं राज्य के मंत्रियों के सम्मेलन में रखूंगा। सबकी सम्मति से जो कुछ बनेगा और वहां जो राय बनेगी वह ज्यादा प्रभावकारी होगी। इसलिए मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि इस संवेदनशील प्रस्ताव पर सदन में मतदान न कराएं, बल्कि इसको वापस ले लें। उनकी भावना का सरकार आदर करेगी और हम आगे इस पर विचार करेंगे।

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR): Mr. Chairman, Sir, please give me 10 minutes. Shri Prahlad Singh Patel would like me to speak on the ban on cow slaughter.

सभापति महोदय : मंत्री जी का उत्तर हो गया है। उन्होंने माननीय सदस्य को अनुरोध किया है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें, वह विचार करके बताएंगे। इसमें अब बहस की बात कहां पैदा होती है।

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN : He is dilly-dallying on the subject. This is a very important matter. It affects the feelings of majority of our populationâ€¦(*Interruptions*)â€¦Let me say a few words.

सभापति महोदय : पहले नाम देना था, अब भााण खत्म हो गया है।

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN : Sir, Shri Prahlad Singh Patel has told me that I can speak. He is prepared to give me some time.

सभापति महोदय : अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। उनका समय थोड़े ही है। नियम में है कि मंत्री जी का जवाब हो गया, तो उसके बाद कोई दूसरा भााण नहीं कर सकता।

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN : Nobody has given any suggestion as to what has to be done for protection of cow. They say 'stop slaughter of the cow.' Here, I want to give some suggestions about the protection of cow.

सभापति महोदय : अब आप दोबारा नहीं बोल सकते।

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN : Sir, whereas our party supports this Resolution...(*Interruptions*)

सभापति महोदय : आप बोल चुके हैं। एक ही विाय पर दो बार बोलने पर रोक है।

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN : Sir, I had spoken last week. But now, I want to give some concrete suggestions.

सभापति महोदय : सुझाव दे दें।

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN : Sir, this is a very important issue.

सभापति महोदय : आप मंत्री जी को लिखित रुप में भेज दें।

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN : Mr. Chairman, Sir, I have sought your permission.

सभापति महोदय : एक बार बोलने के बाद फिर दोबारा बोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN : Sir, I have great respect for you. You come from Patna. You talk about; we

also talk about Patna.â€¦ (*Interruptions*)â€¦I have spent four years in your Bhagalpur jailâ€¦(*Interruptions*)â€¦Sir, I will speak in your language also. अनुमति दे दीजिए न।

सभापति महोदय : गुरू गोविंद सिंह जी और पटना साहिब का नाम ले रहे हैं इसलिए दो मिनट बोल लीजिए।

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN : Sir, these are the demands of the people of my Constituency. They have told me that I must speak on cow slaughter. Please give me five minutes. (*Interruptions*)â€¦They do not have any objection.

सभापति महोदय : नहीं, मंत्री जी से मिलकर बात कर लीजिए। दूसरी बार एक ही विाय पर बोलना नियम में नहीं है।

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN : They do not have any objection.

सभापति महोदय : अब आप बैठिए, क्योंकि आप पहले सब बोल चुके हैं।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल(बालाघाट) : सभापति महोदय, मैंने 26 जुलाई, 2002 को सदन में एक संकल्प प्रस्तुत किया था, जिसको मैं ज्यों का त्यों पढ़ना चाहता हूं।

"इस सभा की यह राय है कि सरकार सम्पूर्ण देश में गौ और गोवंश के वध पर पाबंदी लगाने हेतु एक उपयुक्त विधान लाए। "

मैंने, प्रतिबंध लगा दिया जाए, ऐसा नहीं कहा - मैंने कहा है कि विधान लेकर आए। इस में सरकार को कोई आपत्ति नही होनी चाहिए। आप जो कह रहे हैं, वही मैं कह रहा हूं। अगर मैं कहता कि तत्काल पाबंदी लगा दी जाए, तो सरकार यह कहने का हक रखती है कि यह राज्य का विाय है, हम विचार-विमर्श करेंगे। इस संकल्प में कहीं भी कोई त्रुटि नहीं है, बल्कि संविधान जब बना था, जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए थे, उसमें जो लिखा है कि पशुधन के मामले में गुणवत्ता के आधार पर गुणात्मक वृद्धि करने का संकल्प लेते हैं। देश की आजादी को 55 साल हो गए हैं। इतना समय सरकार में रहने के बाद भी संविधान का सम्मान नहीं किया गया। मैं यही कह रहा हूं। इसलिए सदन को आवश्यक है कि इस संकल्प में मत देकर सरकार को बांधने का काम करे, संविधान की इस मूल भावना का सम्मान करे, जो संविधान आजादी के समय लिखा गया था। पशुधन में वृद्धि करने का हमने कहीं कोई प्रयास नहीं किया, यह हमें स्वीकार करना चाहिए।

मैं सबसे पहले इस चर्चा में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों सर्वश्री भूर्त्रहरि मेहताब जी, अनादि चरण साहू जी, योगी आदित्यनाथ जी, श्रीराम चौहान जी, सिमरनजीत सिंह मान जी, दासमुंशी जी, राजो सिंह जी और रामदास आठवले जी का धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं बात कहूंगा कि जब दासमुंशी जी अपना भााण कर रहे थे, उनको भी मैं स्पटीकरण करना चाहता हूं कि ऐसी हमारी नीयत नहीं, जैसा वह सोचते हैं।

बल्कि योगीराज जी ने अपने भााण में गौ माता की बात करते समय कहा था कि सिर्फ गौ का सवाल नहीं है, गौ का मतलब प्रकृति भी होता है। हम सदन में बैठे लोग अगर इस पर विचार नहीं करेंगे तो न तो संविधान का सम्मान होगा और न आने वाली पीढी का भला हो सकता है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है और आप चाहे पशु आयोग की रिपोर्ट देखें, चाहे स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट देखें, सबने कहा है कि हमें पशु-संवर्धन की चिंता करनी चाहिए। अगर इस देश में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है तो उसी के साथ पशु धन के अनुसंधान और विकास के अवसर भी रख दिये गये हैं। क्या माननीय मंत्री जी ने कभी विचार किया कि इन पचास वर्षों में कोई काउंसिल बनाई जाती और अनुसंधान होता जहां पशुओं के विकास पर चर्चा होती, यह तथ्य कभी सामने नहीं आया। मैं मांग करता हूं कि पहले सरकार को सिर्फ इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए कि कोई कानून लेकर आए बल्कि प्रशासनिक ढ़ांचो पर भी विचार करना चाहिए। यदि एग्रीकल्चर के रिसर्च पर विचार कर सकते हैं तो क्या पशुओं के रिसर्च पर विचार नहीं कर सकते? हमें विचार करना होगा।

जितनी भी स्टैंडिंग कमेटीज हैं, उनकी रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए और जितने भी आपने आयोग बनाए, वे चाहे जीव-जंतुओं के बारे में हों, चाहे पशुओं के बारे में हों, सबने सिफारिश की है कि पशुओं के अनुसंधान और विकास के लिए काम होना चाहिए। मेरे संकल्प में कहीं कोई प्रतिबद्धता नहीं है जहां राज्यों के संवैधानिक हकों को नुकसान पहुंचता हो। मैंने आपसे कहा है कि एक विधान लेकर आइए। वही बात माननीय मंत्री जी कह रहे हैं तो मतदान क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए मैं सदन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि चाहे सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, उसे बंधना चाहिए कि हम अगली बार विधान लेकर आएंगे, इसीलिए मैं निवेदन करता हूं। इसमें किसी दल का सवाल नहीं है। मैं राजनीति करने के लिए संकल्प लेकर नहीं आया हूं। मैंने जिस समय संकल्प प्रस्तुत किया था, उस समय मैंने आराध्य की वाणी को दोहराया था। इस संकल्प में मेरे आराध्य श्री बाबाश्री हैं। वह अनाज नहीं खाते, वह नर्मदा जी का जल पीते हैं। उन्होंने कहा था कि संकल्प में विकल्प खोजने पर महानतम कार्य रुक जाते हैं। संकल्प के विकल्प नहीं होते। मैं सदन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इसमें भेद नहीं होना चाहिए। सभी सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे चाहे वे किसी भी दृटिकोण से देखें। उनको विचार करना पड़ेगा कि गौ-वंश की रक्षा इस देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती है। इसलिए सभी को विचार करना पड़ेगा।

जिन लोगों ने संविधान बनाया, वे भारत की चिंता करने वाले लोग थे। उन्होंने कहा था कि गुणवत्ता के आधार पर गुणात्मक विकास की चिंता करनी चाहिए जो इस देश ने नहीं की। मैंने आंकड़े दिये थे जिसमें बताया गया है कि प्रति हजार पशुओं की आबादी किस बुरी तरह से घटी है। हमने जिस तरह से विदेशी मुद्रा के बारे में विचार किया, हम विकासशील देशों की तुलना करते हैं, विकसित देशों की तुलना करते हैं लेकिन वहां पशु-धन एक हजार व्यक्तियों के ऊपर बढ़ा है और भारतर्वा में जो लोग आध्यात्म की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं, वहां प्रति हजार व्यक्तियों के ऊपर पशुओं का धन घटा है। हमारी धरती की उर्वरा शक्ति घटी है। एक तरफ हम कहते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि के अनुपात में हमारी खेती का अनुपात घटता जा रहा है और जमीन की उर्वरा शक्ति घटती जा रही है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास एकमात्र रास्ता यह है कि पशु-धन से गोबर मिलता है जिससे उर्वरा शक्ति को स्थिर रखा जा सकता है। यह कोई मज़हबी सवाल नहीं है। यह देश के हित का सवाल है। ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ सवाल है। हम किसी भी मुद्दे में मानते हैं कि सदन विचार करेगा। मैं सदन से मांग करता हूं कि इस पर विरोध नहीं होना चाहिए बल्कि संकल्प को पारित करके हम सरकार के सामने रखें, बल्कि सरकार को बाध्य करें कि निश्चित रूप से राज्य से सलाह-मशविरा करके जल्दी गौ और गोवंश की हत्या पर प्रतिबंध का कानून लेकर आए, ऐसा निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और सदन से निवेदन करता हूं कि सर्व सम्मति से इस संकल्प को पारित किया जाए।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, क्या आप इसे वापस करेंगे?

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : नहीं।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : इसे पास कर दिया जाए।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी, आप पढ़िए।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : महोदय, जैसा मैंने उनसे कहा, भारत सरकार इस संबंध में पशु-धन के संवर्धन और सुरक्षा के पक्ष में है। जब माननीय श्री रघुवंश प्रासाद सिंह जी एनीमल हसबैंडरी में मिनिस्टर थे, उन्होंने उस समय सुझाव दिया था कि जैसे आईसीएआर है, उसी तरह आईसीवीआर भी होना चाहिए।

स्टैंडिंग कमेटी और पशु आयोग ने भी ऐसा सुझाव दिया है जो सरकार के सामने विचाराधीन है, क्योंकि उसके लिए नये सिरे से ढांचा खड़ा करना पड़ेगा। कृषि मंत्रालय में सारे अधिकारियों से चर्चा हुई है और राज्य सरकारों से भी चर्चा कर रहे हैं। मैंने कहा कि सबसे सहमति करके इस संबंध में हम आगे बढ़ने वाले हैं। इसलिए सदन में इस प्रस्ताव पर मतदान करा कर माननीय सदस्य कुछ निकान नहीं पाएंगे। आप सरकार को अवसर दें, हम इस पर विचार करके कुछ रास्ता निकालेंगे। इसलिए हम माननीय सदस्यों से आग्रह करते हैं कि वे सरकार के साथ हों और सरकार को इस काम को करने में मदद करें, सदन में इस पर मतदान न कराएं।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि सर्वसम्मति से इस संकल्प को पारित किया जाना चाहिए।â€¦ (व्यवधान)

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : माननीय मंत्री जी जो बात कह रहे हैं, वही ये भी कह रहे हैं, अंतर कहीं नहीं है। सबसे विचार करके संकल्प लाएं, केवल यह प्रास्ताव है।â€¦ (व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ : यह प्रस्ताव है और सर्वसम्मति से दोनों पक्षों के लोग इससे सहमत हैं। महोदय, आपने स्वयं भी कहा था।â€¦ (व्यवधान)

SHRI MADHAB RAJBANGSHI (MANGALDOI): Sir, there is no quorum in the House. How can you decide? Only 35 Members are there in the Houseâ€¦ (*Interruptions*)

सभापति महोदय : घंटी बजाई जा रही है ---

15.52 hrs. (Mr. Deputy-Speaker *in the Chair)*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Since there is no quorum in the House, the House stands adjourned to meet on Monday, the 16th December, 2002 at 11 a.m.

16.01 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Monday, December 16, 2002/Agrahayana 25, 1924 (Saka).